



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04072024-255177
CG-DL-E-04072024-255177

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 341]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 4, 2024/आषाढ 13, 1946

No. 341]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 4, 2024/ASHADHA 13, 1946

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जून, 2024

सा.का.नि. 364(अ).—केंद्रीय सरकार, प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 (1990 का 25) की धारा 11 की उपधारा (1) और (2) के साथ पठित धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) उप निदेशक प्रशासन भर्ती नियम, 2023 में संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) उप निदेशक प्रशासन (संशोधन) भर्ती नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) उप निदेशक प्रशासन भर्ती नियम, 2023 में, अनुसूची में, स्तंभ (11) में, विद्यमान टिप्पण को उसके टिप्पण 1 के रूप में पुनः क्रमांकित किया जाएगा और टिप्पण 1 के पश्चात, जैसा कि पुनः क्रमांकित किया गया है, निम्नलिखित टिप्पण अंतः स्थापित जाएगा अर्थात्:-

“टिप्पण 2.- 20 सितंबर, 2023 से पूर्ण, नियमित आधार पर फीडर कैडर पदों को धारण करने वाले पदधारको की प्रोन्नति के लिए पात्रता मानदंड, पहले के नियमों, अर्थात्: प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) उप निदेशक प्रशासन भर्ती नियम, 2018 द्वारा शासित होंगे।”

[फा. सं. ए-48011/1/2014-बीएपी]

सी. सेंथिल राजन, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 678 (अ) तारीख 20 सितम्बर 2023 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st June, 2024

G.S. R. 364(E).—In exercise of the powers conferred by section 32 read with sub-sections (1) and (2) of section 11 of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990 (25 of 1990), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Deputy Director of Administration Recruitment Rules, 2023, namely:-

1. (1) These rules may be called the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Deputy Director of Administration (Amendment) Recruitment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Deputy Director of Administration Recruitment Rules, 2023, in the Schedule, in column (11), the existing Note shall be renumbered as Note 1 thereof and after Note 1 as so renumbered, the following Note shall be inserted, namely:-

“Note 2.- Eligibility criteria for promotion of incumbents holding feeder cadre posts on regular basis, prior to the 20th day of September, 2023, shall continue to be governed by the earlier rules, namely, the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Deputy Director of Administration Recruitment Rules, 2018.”

[F. No. A-48011/1/2014-BAP]

C. SENTHIL RAJAN, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 678(E), dated the 20th September, 2023.